

## पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

(CIN : U01211RJ2012PTC038955)

रजिस्टर्ड कार्यालय:- डी-232-233, चौथी मंजिल, अटलान्टिस टॉवर, वैशाली नगर, जयपुर-302 021, राजस्थान  
दूरभाष नं. +91-141-2352736, Email : info@paayasmilk.com, www.paayasmilk.com

### सूचना-पत्र

सूचित किया जाता है कि पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड के सदस्यों की 14वीं वार्षिक आम सभा शनिवार, 30 अगस्त 2025 को दोपहर 12:15 बजे एआईसीटीई इंडोवेशन सेंटर, अरण्य भवन के पास, झालाना डूंगरी, इंडस्ट्रीटयूशनल एरिया, महात्मा गांधी रोड़, जयपुर-302004 पर निम्न कार्यों के लिये होगी:-

1. **31 मार्च, 2025 का अंकेक्षित आर्थिक चिट्ठा तथा उस तारीख को समाप्त अवधि के लिए लाभ-हानि खाता और रोकड़ प्रवाह विवरण तथा उस पर निदेशकों एवं अंकेक्षकों की रिपोर्ट पर विचार एवं अनुमोदन करना और इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना:-**

“दिनांक 31 मार्च, 2025 का अंकेक्षित आर्थिक चिट्ठा तथा उस तारीख को समाप्त अवधि के लिये लाभ-हानि खाता और रोकड़ प्रवाह विवरण, उसकी अनुसूचियों और नोट्स जोकि इसका भाग हैं के साथ, उस पर निदेशकों एवं अंकेक्षकों की रिपोर्ट को अनुमोदित करने का प्रस्ताव पारित किया जाता है।”

2. **कम्पनी की समता अंश पूंजी पर सीमित लाभांश (डिविडेंड) पर विचार एवं घोषणा करना और इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :-**

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि सीमित लाभांश (डिविडेंड) कम्पनी की समता अंश पूंजी पर रु. 8/- प्रति समता अंश की दर से, कम्पनी के 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लाभों में से रु. 100/- वाले पूर्ण प्रदत्त 34,33,921 समता अंशों पर रु. 2,74,71,368/- वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिये देने का अनुमोदन एवं पुष्टि की जाती है और इसका भुगतान उन समता अंशधारकों को किया जायेगा जिनका नाम 31 मार्च, 2025 को सदस्यों के रजिस्टर में पंजीकृत है।”

3. **श्री नारायण लाल गुर्जर (डी.आई.एन.: 08075740), जो बोर्ड में “श्रेणी ए” के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्त हो रहे हैं, के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति पर विचार कर नियुक्त करना और इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :-**

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कम्पनी के अंतर्नियम के अनुच्छेद 9.6 और अन्य सम्बन्धित अनुच्छेद एवं कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA एवं लागू होने वाले प्रावधानों (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय-समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुर्न-अध्यादेश) के अनुसार, श्री नारायण लाल गुर्जर (डी.आई.एन.: 08075740), ने निदेशक के पद से त्याग पत्र दे दिया है, के स्थान पर श्रीमती सुनिता कुमावत (डी.आई.एन.-11193880), जो “श्रेणी ए” के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करती हैं, को कम्पनी में निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जो चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्ति के लिए उत्तरदायी है।”

4. **श्री विजय सिंह मीणा (डी.आई.एन. - 09286327), जो बोर्ड में “श्रेणी बी” के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति पर विचार कर नियुक्त करना और इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :-**

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कम्पनी के अंतर्नियम के अनुच्छेद 9.6 और अन्य सम्बन्धित अनुच्छेद एवं कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA एवं लागू होने वाले प्रावधानों (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय-समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुर्न-अध्यादेश) के अनुसार, श्री विजय सिंह मीणा (डी.आई.एन.: 09286327), निदेशक जो इस आम सभा के समापन पर चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्त होंगे तथा पुनः नियुक्ति के लिए योग्य नहीं हैं, के स्थान पर श्रीमती रिकू शर्मा (डी.आई.एन.-11194044), जो “श्रेणी बी” के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करती हैं, को कम्पनी में निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जो चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्ति के लिए उत्तरदायी है।”

5. **श्री हनुमान चौधरी (डी.आई.एन.-09684895), जो बोर्ड में “श्रेणी सी” के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति पर विचार कर नियुक्त करना जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्त होकर, योग्यताएँ पूरी करते हुये स्वयं को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तावित करते हैं और इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :-**

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि श्री हनुमान चौधरी (डी.आई.एन..09684895), जो बोर्ड में “श्रेणी सी” के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्त होकर, योग्यताएँ पूरी करते हुए स्वयं को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तावित करते हैं, को एतद्वारा कम्पनी में निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त किया जाता है, जो चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्ति के लिए उत्तरदायी है।”



iv. “नोमिनेशन कमेटी” निम्नलिखित सारणी में पात्र प्रार्थी हेतु प्रत्येक मानदंड के सामने दिए गए ‘प्रार्थी के योग्यता अंक’ पर विचार करेगी:

| प्रार्थी के योग्यता अंक हेतु मानदंड                                                                                                                                                                                                                                                     | अधिकतम अंक |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| पूर्ववर्ती दो वित्तीय वर्षों के दौरान कम्पनी को दुग्ध आपूर्ति के दिनों की संख्या, अंक निम्न प्रकार से होंगे: (95% या अधिक दिन -30 ; 85% to <95% दिन - 20 ; 75% to <85% - 15 ; 65% to <75% - 10 ; 55% to <65% - 5 ; <55% - 0)                                                            | 30         |
| अवधि के दौरान कम्पनी को स्व-घोषणा एवं कम्पनी के द्वारा अनुवर्ती सत्यापन के आधार पर संपूर्ण आधिक्य की आपूर्ति करना (अर्थात अन्य किसी प्रतियोगी/संचालक को दुग्ध आपूर्ति नहीं की है)– पिछले 5 वर्षों से सदस्य वर्ग (ए, बी, सी) में से किसी एक को बनाये रखने के लिए प्रति वर्ष के लिए 6 अंक | 5          |
| प्रार्थी की शैक्षणिक योग्यता<br>पुरुषों के लिए— 12वीं के लिए—5, स्नातकों के लिए — 10 और स्नातकोत्तरों के लिए — 15<br>महिला के लिए—10वीं के लिए—5, 12वीं के लिए—10, स्नातकों के लिए — 15                                                                                                 | 30         |
| अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम जिनमें भाग लिया — सदस्य प्रशिक्षण (5 अंक) वीसीजी/एमआरजी प्रशिक्षण (5 अंक): एलडीपी/ बोर्ड निदेशको हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने पर (10 अंक)।                                                                                                            | 15         |
| <b>कुल</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>100</b> |

v. बोर्ड द्वारा गठित की गई ‘नोमिनेशन कमेटी’ में निम्नलिखित शामिल होंगे—

- सदस्यता श्रेणी से बोर्ड का उत्पादक—सदस्य निदेशक जिसके लिए रिक्तता पैदा हुई है बशर्ते ऐसा उत्पादक—सदस्य निदेशक उस आगामी वार्षिक आम सभा से सेवा—निवृत्त होने वाला सदस्य न हो। अगर एक से अधिक उत्पादक — उत्पादक निदेशक योग्य सिद्ध होता है, तो किसी भी अनुबंध के अंतर्गत और उसके अधीन, ड्रॉ ऑफ लॉट्स प्रक्रिया के द्वारा एक नोमिनेशन कमेटी सदस्य को चुना जायेगा। इसके अतिरिक्त, अगर उस श्रेणी से कोई उत्पादक—सदस्य निदेशक उपलब्ध नहीं है, तो कोई अन्य उत्पादक—सदस्य निदेशक को सभी उपस्थित निदेशकों की आपसी सहमति से या ड्रॉ ऑफ लोट्स प्रक्रिया के द्वारा चुना जायेगा;
- कम्पनी बोर्ड का एक विशेषज्ञ निदेशक और
- किसी प्रबंधन संस्थान का एक विशेषज्ञ, जिसने उत्पादक स्वामित्व के उद्यमों के विकास हेतु बहुत कार्य किया हो; और कम्पनी का कम्पनी सचिव ‘नोमिनेशन कमेटी’ को अपना सहयोग प्रदान करेगा और नोमिनेशन कमेटी की सभा के लिखित कार्य विवरणों सहित उसके सभी संबद्ध दस्तावेजों को संभालने के लिए उत्तरदायी होगा।

vi. ‘नोमिनेशन कमेटी’ का कार्यकाल समिति की प्रथम बैठक की दिनांक से लेकर उसके द्वारा कम्पनी बोर्ड को अपने सुझाव भेजने की दिनांक तक होगा।

vii. बोर्ड ऐसे योग्य सदस्यों के चुनने के लिए ‘नोमिनेशन कमेटी’ के द्वारा अपनाये जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित करेगा।

यह भी प्रस्ताव पारित किया जाता है कि, इस प्रस्ताव को प्रभावित करने हेतु, बोर्ड के निदेशकों को एतद्वारा ऐसे सभी कदम उठाने एवं कार्य करने, मुद्दों एवं वस्तुओं को संभालने, जैसा आवश्यक समझे निर्णय लेने का अधिकार एवं इस सम्बन्ध में उठे किन्ही मामलों, कठिनाई या संदेह का समाधान करने हेतु अधिकृत किया जाता है।”

बोर्ड के आदेशानुसार

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

ह./-

(अनूप गुप्ता)

कम्पनी सचिव

स्थान : जयपुर

दिनांक : 31 जुलाई, 2025

सदस्यता संख्या: FCS 5302

नोट्स:-

- कोई भी सदस्य जो वार्षिक आम सभा में उपस्थित होने तथा निर्णय देने का अधिकार रखता है को अधिकार है कि वह अपने स्थान पर किसी अन्य सदस्य को वार्षिक आम सभा में उपस्थित होने तथा हाथ दिखा कर अथवा पोल पर अपना निर्णय देने के लिए प्रतिनिधि (Proxy) नियुक्त कर सकता है तथा इस प्रतिनिधि के लिए कम्पनी का सदस्य होना आवश्यक है। गैर सदस्य को प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार की प्रतिनिधि की नियुक्ति के लिये प्रॉक्सी फॉर्म (Proxy Form) सही तरीके से भरकर, स्टाम्प लगाकर कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में प्रस्तावित आम सभा के समय से कम से कम 48 घंटे पूर्व जमा कराया जाना आवश्यक है। प्रॉक्सी फॉर्म का खाली प्रारूप संलग्न है।

2. प्रत्येक सदस्य को, उसके द्वारा ली गई अंश पूंजी और संरक्षता को ध्यान में न रखते हुए, एक वोट डालने का अधिकार होगा (हाथ दिखाकर अथवा पोल पर) लेकिन उसने अपनी सदस्यता की आधारभूत शर्तों को पूरा कर लिया हो अर्थात् उसने गत वित्तीय वर्ष 2024–2025 में कम्पनी को कम से कम 200 दिनों में 500 लीटर दूध की आपूर्ति की हो।
3. कम्पनी के सदस्यों को व्यवसाय में भागेदारी (संरक्षता के आधार) पर विभिन्न श्रेणियों (श्रेणी ए, बी एवं सी) में वगीकृत करने का मापदंड सातवीं वार्षिक आम सभा में अनुमोदित किया गया था।
4. **सदस्यों का श्रेणी वर्गीकरण और वोट देने का अधिकार:—**  
दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष (2024–25), को कम्पनी के सदस्य रजिस्टर में 76837 सदस्य दर्शाये गये हैं, जिनका श्रेणी वर्गीकरण वित्तीय वर्ष 2024–25 की संरक्षता के आधार पर और वोट देने के अधिकार की स्थिति निम्न प्रकार है:—
  - (a) वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान संरक्षता मापदण्डों का सदस्यों द्वारा पूर्ण करने अथवा पूर्ण न करने के विश्लेषण के आधार पर, “श्रेणी ए” के 3370 सदस्य, “श्रेणी बी” के 6690 सदस्य और “श्रेणी सी” के 14889 सदस्य (कुल 24949 सदस्य) जिन्होंने कम्पनी की वोट करने की आधारभूत शर्तों के साथ साथ संरक्षता मापदण्ड के सभी श्रेणी की शर्तों को पूरा किया है इसलिए वे आम सभा के सूचना पत्र के प्रस्ताव संख्या 1 से 9 इसमें उसी श्रेणी के निदेशकों का चयन शामिल हैं, पर वोट करने के अधिकारी होंगे।  
(नोट—कम्पनी के अंतर्नियम के अनुच्छेद 9.5 के अनुसार, एक सदस्य अपनी श्रेणी (“श्रेणी ए” अथवा “श्रेणी बी” अथवा “श्रेणी सी”) के निदेशक की नियुक्ति पर वोट डाल सकता है, अन्य श्रेणी के निदेशक की नियुक्ति पर वोट नहीं डाल सकता है)।
  - (b) 7116 सदस्य जिन्होंने कम्पनी की आधारभूत शर्तों को पूरा किया है (अर्थात् जिन्होंने गत वित्तीय वर्ष में कम से कम 200 दिनों में कम्पनी को 500 लीटर दूध की आपूर्ति की है), लेकिन उन्होंने अपनी श्रेणी की एक या अधिक संरक्षता की अन्य शर्तों को वित्तीय वर्ष 2024–25 में पूरा नहीं किया है, तथा जिन्होंने कम्पनी की तीनों श्रेणियों के वर्गीकरण की शर्तों को भी पूरा नहीं किया है, और उसके परिणामस्वरूप वे श्रेणी पर आधारित निदेशकों के चयन (सूचना पत्र की मद संख्या 3, 4 एवं 5) पर वोट नहीं कर सकते हैं परन्तु वह सूचना पत्र की मद संख्या 1, 2, 6, 7, 8 और 9 के प्रस्ताव पर वोट कर सकते हैं।
  - (c) कुल 43907 सदस्यों द्वारा गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में कम्पनी को कम से कम 200 दिनों में 500 लीटर दूध की आपूर्ति नहीं की इसलिए, उनको आगामी वार्षिक आम सभा में वोट करने का अधिकारी नहीं है। हांलाकि, वे वार्षिक आम सभा में भाग लेने के पात्र हैं।
  - (d) कुल 865 सदस्यों की सदस्यता दिनांक 31 मार्च, 2025 के पश्चात निरस्त कर दी गई, इसलिए वे सदस्य कम्पनी की वार्षिक आम सभा में भाग लेने के पात्र नहीं हैं। हांलाकि, वे वित्तीय वर्ष 2024–2025 के सीमित लाभांश (डिविडेंड), यदि वार्षिक आम सभा में पारित होता है, के पात्र होंगे।
  - (e) दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के पश्चात् एवं सूचना पत्र की तारीख तक कुल 3490 नये सदस्य सम्मिलित किये गये हैं, जो वित्तीय वर्ष 2024–25 के लाभांश के पात्र नहीं होंगे एवं उनको आगामी वार्षिक आम सभा में वोट करने का अधिकार भी नहीं है।
  - (f) उपरोक्त सदस्यों की सूची उनके दुग्ध संकलन केन्द्र के अनुसार 14वीं वार्षिक आम सभा के स्थान पर भी उपलब्ध होगी।
  - (g) आम सभा में कम्पनी ऐसी व्यवस्था एवं प्रणाली का प्रयोग करेगी, जिससे सदस्य अपने श्रेणी के अनुसार सुविधाजनक वोट कर सके, जिसे सदस्यों को सभा के दौरान अवगत करा दिया जायेगा।



5. इस सूचना पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न है:-

- (i) निदेशक के पद हेतु चयन के लिए प्रत्येक प्रत्याशियों के नाम तथा उनकी योग्यताओं सहित।
- (ii) दिनांक 23 सितम्बर, 2024 को सम्पन्न हुई 13वीं वार्षिक आम सभा की कार्यवाही का विवरण।
- (iii) 31 मार्च, 2025 को अंकेक्षित आर्थिक चिट्ठा एवं 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष का लाभ-हानि खाते के साथ उस पर निदेशकों का रिपोर्ट तथा अंकेक्षकों की रिपोर्ट।
- (iv) वित्तीय वर्ष 2025-2026 का बजट।

- 6. इस सूचना पत्र और व्याख्यात्मक विवरण से सम्बन्धित सभी दस्तावेजों को कार्यदिवसों में प्रातः 11:00 से सांयः 4:00 बजे तक कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय पर देखा जा सकता है।
- 7. सीमित लाभांश (डिविडेंड), जैसा कि बोर्ड ने अनुशंसा की है, अगर आम सभा में घोषित होता है तो उन अंशधारकों को भुगतान किया जायेगा जिनका नाम 31 मार्च, 2025 को कम्पनी के सदस्यों के रजिस्टर में पंजीकृत है।
- 8. सदस्यों से निवेदन है कि आम सभा में भाग लेने के लिये भेजी गई 13वीं वार्षिक प्रतिवेदन एवं उपस्थिति पर्ची अपने साथ लायें।
- 9. सदस्य जिसे कम्पनी लेखों अथवा संचालन संबंधी जानकारी की आवश्यकता हो या कोई प्रश्न हो तो वे कम्पनी सचिव को कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में 14वीं वार्षिक आम सभा की दिनांक से 7 दिवस के पहले लिखित रूप से सूचित करें।
- 10. सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने पत्राचार में अपना फोलियों संख्या एवं अपना सदस्यता कोड संख्या अवश्य लिखें।
- 11. सदस्यों से अनुरोध है कि वे पते के परिवर्तन को पिन कोड एवं मोबाइल नं. सहित कम्पनी को सूचित करें।
- 12. सदस्यों को यह सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 124 और 125 (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय-समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुर्न-अध्यादेश) के अनुसार अदावाकृत या असंदत्त लाभांश की राशि को अनपेड डिविडेंड खातों में हस्तान्तरण की तारीख से 7 वर्षों की अवधि के लिए दावा/नकदीकरण नहीं करते हैं तो वह राशि निवेशक शिक्षा और संरक्षक निधि (Investor Education & Protection Fund) में अंतरित करना आवश्यक है। सदस्य कम्पनी की वेबसाइट [www.paayasmilk.com](http://www.paayasmilk.com) पर अदावाकृत या असंदत्त राशि को देख सकते हैं। सदस्यों से निवेदन है कि वे अदावाकृत या असंदत्त की राशि को निवेशक शिक्षा और संरक्षक निधि में हस्तान्तरित करने से पूर्व कम्पनी से दावा कर सकते हैं।
- 13. सदस्यों से अनुरोध है कि कम्पनी से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वार्षिक रिपोर्ट, नोटिस, परिपत्र आदि सहित सभी प्रपत्र प्राप्त करने के लिए अपना ई-मेल पता पंजीकृत कराएं।
- 14. सदस्यों से अनुरोध है कि उनकी पहचान के लिए कम्पनी द्वारा जारी किये गये पहचान पत्र वार्षिक आम सभा के स्थान पर लायें।
- 15. बैठक की सूचना कम्पनी की वेसाइट [www.paayasmilk.com](http://www.paayasmilk.com) पर उपलब्ध है।

आगामी आम सभा में नियुक्त/पुनःनियुक्ति होने वाले निदेशकों का विवरण (कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 378ZA (4)(c) और आम सभा पर सचिवीय मानकों के अनुसार)।

**कार्यसूची सं. 3, 4 और 5**

बोर्ड ने नामांकन समिति की अनुशंसा पर श्रीमती सुनिता कुमावत (डी.आई.एन.-11193880), जो श्रेणी ए का प्रतिनिधित्व करती है, श्रीमती रिकू शर्मा (डी.आई.एन.-11194044), जो श्रेणी बी का प्रतिनिधित्व करती है और श्री हनुमान चौधरी (डी.आई.एन.-09684895), जो श्रेणी सी का प्रतिनिधित्व करते हैं को कम्पनी के निदेशक नियुक्त/पुनः नियुक्त करने का प्रस्ताव करता है, उनका विवरण नीचे दिया गया है:-

|                                                                 | श्रीमती सुनिता कुमावत                                                  | श्रीमती रिकू शर्मा                                                     | श्री हनुमान चौधरी                                                      |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| उम्र :                                                          | 31                                                                     | 39                                                                     | 30                                                                     |
| शैक्षिक योग्यता :                                               | 12वीं उत्तीर्ण                                                         | 12वीं उत्तीर्ण                                                         | कला में स्नातक (बी.ए.)                                                 |
| व्यवसाय :                                                       | कृषि और पशुपालन                                                        | कृषि और पशुपालन                                                        | कृषि और पशुपालन                                                        |
| अनुभव :                                                         | कृषि और पशुपालन में 11 वर्ष का अनुभव                                   | कृषि और पशुपालन में 16 वर्ष का अनुभव                                   | कृषि और पशुपालन में 12 वर्ष का अनुभव                                   |
| नियुक्ति के नियम व शर्तें :                                     | गैर-कार्यकारी निदेशक, चक्रीय क्रम से सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी | गैर-कार्यकारी निदेशक, चक्रीय क्रम से सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी | गैर-कार्यकारी निदेशक, चक्रीय क्रम से सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी |
| पारिश्रमिक का भुगतान करने की मांग और अंतिम आहरित पारिश्रमिक :   | शून्य                                                                  | शून्य                                                                  | शून्य                                                                  |
| बोर्ड में पहली नियुक्ति की स्थिति :                             | 14वाँ वार्षिक आम सभा में नियुक्ति का प्रस्ताव                          | 14वाँ वार्षिक आम सभा में नियुक्ति का प्रस्ताव                          | 19.09.2022                                                             |
| गत वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की बैठकों में भाग लिया की संख्या : | —                                                                      | —                                                                      | 5                                                                      |
| धारित अंशों की संख्या :                                         | 188                                                                    | 190                                                                    | 53                                                                     |
| अन्य निदेशकों और केएमपी के साथ संबंध :                          | संबंधित नहीं                                                           | संबंधित नहीं                                                           | संबंधित नहीं                                                           |
| बोर्ड की समिति की सदस्यता/अध्यक्षता :                           | शून्य                                                                  | शून्य                                                                  | एक                                                                     |

स्थान : जयपुर  
दिनांक : 31 जुलाई, 2025

बोर्ड के आदेशानुसार  
पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड  
ह./-  
(अनूप गुप्ता) कम्पनी सचिव  
सदस्यता संख्या-FCS 5302

### व्याख्यात्मक विवरण (Explanatory Statement)

(सूचना-पत्र दिनांक 31 जुलाई, 2025 में दी गई मद संख्या 8 और 9 से संबंधित)

#### **मद संख्या 8**

एनडीडीबी, एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज के माध्यम से, दूध उत्पादक संगठनों के लिए एक एपेक्स मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी (Apex Multi State Cooperative Society) प्रमोट की गई अथवा भविष्य में प्रमोट किये जाने के लिए, सहायता प्रदान कर रहा है। उक्त एपेक्स मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत रजिस्टर्ड होगी। सोसाइटी का उद्देश्य दूध उत्पादन, संकलन, प्रसंस्करण और विपणन में सहायता प्रदान करके, डेयरी क्षेत्र में संबंधित गतिविधियों का विस्तार करके और सरकारी निकायों के साथ सहयोग और सहकारी सिद्धान्तों के पालन के माध्यम से दूध उत्पादकों को वित्तीय, तकनीकी और प्रशिक्षण सहायता प्रदान करके सदस्यों के आर्थिक हितों को बढ़ावा देना है। चूंकि, पायस एमपीओ के उद्देश्य और गतिविधियां, विशेष रूप से सहकारी और पारस्परिक सहायता सिद्धान्तों को बढ़ावा देने, दूध उत्पादन बढ़ाने और भारत में डेयरी वेल्यू चैन को मजबूत करना है जोकि इस एपेक्स मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के व्यापक लक्ष्यों और दृष्टिकोण के अनुरूप है। इसलिए, यह प्रस्तावित है कि पायस एमपीओ सदस्यता लेने हेतु अपने अधिकतम सामान्य संचय के 30 प्रतिशत सीमा तक एपेक्स मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में शेयर अभिदान कर सकता है और एनडीडीबी द्वारा प्रमोटेड की गई एपेक्स मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के सदस्य बने।

कम्पनी के निदेशक/अधिकारियों अथवा उनके सम्बन्धियों का कम्पनी में उनकी संबंधित अंशधारिता की सीमा को छोड़कर, इस प्रस्ताव में किसी भी प्रकार से कोई हित निहित नहीं है।

निदेशक मंडल सूचना पत्र में वर्णित मद संख्या 8 में दिये गये विशेष प्रस्ताव पर सदस्यों द्वारा अनुमोदन करने की अनुशंसा करता है।

#### **मद संख्या 9**

यह अनुभव किया गया है कि उत्पादक निदेशक पद के लिए उपयुक्त प्रत्यार्शी को चुनने हेतु वर्तमान मापदंड प्रत्यार्शी की योग्यता अंको के आकलन क्षेत्र को सीमित करते हैं। इसलिए, यह अनुशंसा की जाती है कि योग्यता अंक मापदंडों को संभावित आवेदकों की योग्यता मापदंडों के साथ उचित रूप से संरेखित (Align) करने के लिए नामांकन समिति के गठन से संबंधित दिशा-निर्देशों में संशोधित किया जाये।

आगे, अंशधारकों द्वारा पूर्व में पारित किए गए प्रस्ताव में किसी भी संशोधन को कम्पनी की आम सभा में एक सामान्य प्रस्ताव पारित करके अंशधारकों द्वारा संशोधित और अनुमोदन किया जा सकता है।

कम्पनी के निदेशक/अधिकारियों अथवा उनके सम्बन्धियों का कम्पनी में उनकी संबंधित अंशधारिता की सीमा को छोड़कर, इस प्रस्ताव में किसी भी प्रकार से कोई हित निहित नहीं है।

निदेशक मंडल, सूचना पत्र में वर्णित मद संख्या 9 में दिये गये सामान्य प्रस्ताव पर सदस्यों द्वारा अनुमोदन करने की अनुशंसा करता है।

स्थान : जयपुर  
दिनांक : 31 जुलाई, 2025

बोर्ड के आदेशानुसार  
पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड  
ह./-  
(अनूप गुप्ता) कम्पनी सचिव  
सदस्यता संख्या-FCS 5302

## पायस मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

स्थान: हेडवा हेवन रिसोर्ट, जामडोली चौराहा से जयसिंहपुरा खोर रोड, आगरा रोड, जयपुर-302027 राजस्थान में  
सदस्यों की 13वीं वार्षिक आम सभा, सोमवार, दिनांक 23 सितम्बर, 2024 को दोपहर: 12.15 बजे को  
जिसकी कार्यवाही विवरण का विवरण निम्न है:-

### बैठक में उपस्थित सदस्य :-

- |                              |                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1. श्रीमती ममता चौधरी        | - अध्यक्ष, अध्यक्ष (हितधारक संबंधित समिति) एवं अंशधारक |
| 2. श्री नारायण लाल गुर्जर    | - निदेशक एवं अंशधारक                                   |
| 3. श्री लादू लाल             | - निदेशक एवं अंशधारक                                   |
| 4. श्रीमती सुनिता शर्मा      | - निदेशक एवं अंशधारक                                   |
| 5. श्री विजय सिंह मीणा       | - निदेशक एवं अंशधारक                                   |
| 6. श्री भागचन्द              | - निदेशक एवं अंशधारक                                   |
| 7. श्रीमती चन्दा यादव        | - निदेशक एवं अंशधारक                                   |
| 8. श्री जगदीश प्रसाद इनाणीया | - निदेशक एवं अंशधारक                                   |
| 9. श्री हनुमान चौधरी         | - निदेशक एवं अंशधारक                                   |
| 10. श्री अनिता चौधरी         | - निदेशक एवं अंशधारक                                   |
| 11. श्री मुकेश कुमार गढवाल   | - निदेशक एवं अंशधारक                                   |
| 12. डॉ. मनवीर सिंह           | - निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी                           |
| 13. श्री अनूप गुप्ता         | - कम्पनी सचिव                                          |

- श्रीमती ममता चौधरी ने बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कम्पनी सचिव से बैठक प्रारम्भ करने के लिए अपेक्षित उपस्थिति और कोरम की पुष्टि करने के लिए निवेदन किया।
  - तत्पश्चात, श्री अनूप गुप्ता, कम्पनी सचिव ने सूचित किया कि उपस्थिति रजिस्टर के अनुसार 30314 अंश वाले 203 सदस्य व्यक्तिगत रूप से तथा 28383 अंश वाले 1826554 सदस्य प्रॉक्सी के माध्यम से उपस्थित थे। अध्यक्ष महोदय ने कम्पनी सचिव से पुष्टि के पश्चात कोरम पूरा होने की घोषणा की।
  - अध्यक्ष महोदय ने 13वीं वार्षिक आम सभा में उपस्थित सभी सदस्यों एवं निदेशकों का स्वागत किया। तत्पश्चात, अध्यक्ष महोदय ने कम्पनी के मूल्य, ध्येय और दीर्घदृष्टि को पढ़कर बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की।
  - अध्यक्ष ने उपस्थित सदस्यों को सूचित किया कि श्री राजेश गुप्ता, श्री सौगत मित्रा, डॉ. रघु हासन मल्लेगौड़ा, विशेषज्ञ निदेशक बैठक में उपस्थित नहीं हो सके। अध्यक्ष ने सदस्यों को यह भी बताया कि लेखा अंकेषकों ने बैठक में भाग लेने में असमर्थता व्यक्त की थी और कम्पनी से अनुपस्थिति की अनुमति की इच्छा व्यक्त की।
  - कम्पनी सचिव ने निर्दिष्ट किया कि प्रतिनिधि का रजिस्टर, सदस्यों का रजिस्टर, निदेशकों की अंशधारिता का रजिस्टर, वैधानिक अंकेषकों की रिपोर्ट और अन्य वैधानिक रजिस्टर जांच के लिए उपलब्ध थे। उपस्थित सदस्यों की सर्व सम्मति से 13वीं वार्षिक आम सभा बुलाने का नोटिस जो कि पहले से ही वितरित किया जा चुका है, जिसे पढ़ा हुआ मान लिया गया। उन्होंने यह भी बताया कि कम्पनी की लेखा अंकेषकों की रिपोर्ट में कोई प्रतिकूल टिप्पणी/योग्यता नहीं थी और इसलिए लेखा अंकेषकों की रिपोर्ट को भी पढ़ा हुआ मान लिया गया है।
  - अध्यक्ष महोदय ने अपने संक्षिप्त भाषण में कम्पनी के संचालन एवं उत्पादक सदस्यों के लाभ के लिए की जाने वाली गतिविधियों संबंधी जानकारी दी।
  - तत्पश्चात, अध्यक्ष महोदय की सलाह पर, श्री अनूप गुप्ता, कम्पनी सचिव ने सभा की कार्यसूची प्रारंभ की।
1. **31 मार्च, 2024 का अंकेक्षित आर्थिक चिट्ठा तथा उस तारीख को समाप्त अवधि के लिए लाभ-हानि खाता और रोकड़ प्रवाह विवरण तथा उस पर निदेशकों एवं अंकेक्षकों की रिपोर्ट पर विचार एवं अनुमोदन करना और इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना:-**

- 1.1 श्री बनवारी लाल (फोलियो संख्या: 23047) ने निम्नलिखित को सामान्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया:-

**प्रस्ताव संख्या 1/2024-2025-13वीं वार्षिक आम सभा/23.09.2024**

“दिनांक 31 मार्च, 2024 का अंकेक्षित आर्थिक चिट्ठा तथा उस तारीख को समाप्त अवधि के लिये लाभ-हानि खाता और रोकड़ प्रवाह विवरण, उसकी अनुसूचियों और नोट्स जोकि इसका भाग हैं के साथ, उस पर निदेशकों एवं अंकेक्षकों की रिपोर्ट को अनुमोदित करने का प्रस्ताव पारित किया जाता है।

“श्री शिवराज जाट (फोलियो संख्या: 53953) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।



2. कम्पनी की समता अंश पूंजी पर सीमित लाभांश (डिविडेंड) पर विचार एवं घोषणा करना और इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :-
- 2.1 श्री राजाराम गुर्जर (फोलियो संख्या: 162816) ने निम्नलिखित को सामान्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया:-  
**प्रस्ताव संख्या 2/2024-2025-13वीं वार्षिक आम सभा/23.09.2024**  
 "प्रस्ताव पारित किया जाता है कि सीमित लाभांश (डिविडेंड) कम्पनी की समता अंश पूंजी पर रु. 8/- प्रति समता अंश की दर से, कम्पनी के 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लाभों में से रु. 100/- वाले पूर्ण प्रदत्त 3822279 समता अंशों पर रु. 3,05,78,232/- वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिये देने का अनुमोदन एवं पुष्टि की जाती है और इसका भुगतान उन समता अंशधारकों को किया जायेगा जिनका नाम 31 मार्च, 2024 को सदस्यों के रजिस्टर में पंजीकृत है।"  
 श्री रतना राम (फोलियो संख्या: 172805) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।  
 अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।
3. श्रीमती सुनिता शर्मा (डी.आई.एन. - 09286071), जो बोर्ड में "श्रेणी ए" के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करती है, के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति पर विचार कर नियुक्त करना जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्त होकर, योग्यताएँ पूरी करते हुये स्वयं को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तावित करती है और इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :-
- 3.1 श्रीमती कुंदन कंवर (फोलियो संख्या: 97920) जो श्रेणी ए का प्रतिनिधित्व करते हैं, ने निम्नलिखित को सामान्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया:-  
**प्रस्ताव संख्या 3/2024-2025-13वीं वार्षिक आम सभा/23.09.2024**  
 "प्रस्ताव पारित किया जाता है कि श्रीमती सुनिता शर्मा (डी.आई.एन. - 09286071), जो बोर्ड में "श्रेणी ए" के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करती है, जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्त होकर, योग्यताएँ पूरी करते हुए स्वयं को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तावित करती हैं, को एतद्वारा कम्पनी में निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त किया जाता है, जो चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्ति के लिए उत्तरदायी है।"  
 श्रीमती गोरान (फोलियो संख्या: 67267) जो श्रेणी ए का प्रतिनिधित्व करती है, ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।  
 अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको श्रेणी ए के सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।
4. श्रीमती ममता चौधरी (डी.आई.एन.-08842062), जो बोर्ड में "श्रेणी बी" के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करती है, के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति पर विचार कर नियुक्त करना जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्त होकर, योग्यताएँ पूरी करते हुये स्वयं को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तावित करती है और इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :-
- 4.1 श्रीमती ममता चौधरी, कम्पनी की अध्यक्ष का इस प्रस्ताव मे व्यक्तिगत हित होने के कारण उन्होंने अध्यक्षता छोड़ दी और उपस्थित सदस्यों की अनुमति से, श्री नारायण लाल गुर्जर, निदेशक ने इस कार्यसूची के लिए अध्यक्षता की।
- 4.2 श्रीमती बबली जाट (फोलियो संख्या: 233841) जो श्रेणी बी का प्रतिनिधित्व करती है, ने निम्नलिखित को सामान्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया:-  
**प्रस्ताव संख्या 4/2024-2025-13वीं वार्षिक आम सभा/23.09.2024**  
 "प्रस्ताव पारित किया जाता है कि श्रीमती ममता चौधरी (डी.आई.एन.08842062), जो बोर्ड में "श्रेणी बी" के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करती है, जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्त होकर, योग्यताएँ पूरी करते हुए स्वयं को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तावित करती हैं, को एतद्वारा कम्पनी में निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त किया जाता है, जो चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्ति के लिए उत्तरदायी है।"  
 श्रीमती रिकू (फोलियो संख्या: 55248) जो श्रेणी बी का प्रतिनिधित्व करती है, ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।  
 अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको श्रेणी बी के सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।  
 श्री नारायण लाल गुर्जर ने सदस्यों को धन्यवाद दिया और श्रीमती ममता चौधरी द्वारा पुनः अध्यक्षता के लिए श्री नारायण लाल गुर्जर ने अध्यक्षता छोड़ दी। तत्पश्चात श्री ममता चौधरी ने बैठक की अध्यक्षता की।
5. श्री भागचन्द (डी.आई.एन.-09286255), जो बोर्ड में "श्रेणी बी" के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति पर विचार कर नियुक्त करना जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्त होकर, योग्यताएँ पूरी करते हुये स्वयं को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तावित करते हैं और इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :-

- 5.1 श्री विरेन्द्र सिंह राठौड़ (फोलियो संख्या: 103687) जो श्रेणी बी का प्रतिनिधित्व करते हैं, ने निम्नलिखित को सामान्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया:-  
**प्रस्ताव संख्या 5/2024-2025-13वीं वार्षिक आम सभा/23.09.2024**  
“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि श्री भागचन्द (डी.आई.एन.-09286255), जो बोर्ड में “श्रेणी बी” के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करती है, जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्त होकर, योग्यताएँ पूरी करते हुए स्वयं को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तावित करती हैं, को एतद्वारा कम्पनी में निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त किया जाता है, जो चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्ति के लिए उत्तरदायी है।”  
श्री गौतम कुमार शर्मा (फोलियो संख्या: 170616) जो श्रेणी बी का प्रतिनिधित्व करते हैं, ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।  
अध्यक्षा महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको श्रेणी बी के सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।
6. **कम्पनी के वैधानिक अंकेषकों की पुनः नियुक्ति पर विचार कर अनुमोदन करना एवं उनका पारिश्रमिक निर्धारित करना और इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :-**
- 6.1 श्री नंद किशोर (फोलियो संख्या: 129203) ने निम्नलिखित को सामान्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया:-  
**प्रस्ताव संख्या 6/2024-2025-13वीं वार्षिक आम सभा/23.09.2024**  
“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139, 142, 378ZA (4) (e) और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, को कम्पनी (अंकेषकों और ऑडिट) नियम, 2014 (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय-समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुन-अध्यादेश) के साथ पढ़े जाने के अनुसार, मैसर्स प्राइस वॉटरहाऊस चार्टर्ड एकाउंटेंट्स एल.एल.पी., नई दिल्ली (फर्म पंजीकरण संख्या -012754N/N500016) को पारिश्रमिक रुपये 24,50,000 (अक्षरे चौबीस लाख पचास हजार रुपये) एवं लागू होने वाले कर तथा वास्तविक खर्चों की प्रतिपूर्ति के साथ इस आम सभा की समाप्ति से लेकर आगामी आम सभा की समाप्ति तक के लिए कम्पनी के वैधानिक अंकेषकों के रूप में पुनः नियुक्त किया जाता है।”  
श्री सत्यनारायण (फोलियो संख्या: 196740) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।  
अध्यक्षा महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।
7. **1 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक की अवधि के लिए कम्पनी के बजट पर विचार कर अनुमोदन करना और इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :-**
- 7.1 श्री मनोहर (फोलियो संख्या: 169506) ने निम्नलिखित को सामान्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया:-  
**प्रस्ताव संख्या 7/2024-2025-13वीं वार्षिक आम सभा/23.09.2024**  
“1 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक की अवधि के लिए कम्पनी के बजट, जैसाकि वार्षिक आम सभा के समक्ष रखा गया है, को एतद्वारा अनुमोदन करने का प्रस्ताव पारित किया जाता है।”  
श्रीमती राजू देवी (फोलियो संख्या: 86781) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।  
अध्यक्षा महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।
8. **कम्पनी की पाँचवी वार्षिक आम सभा में पारित विशेष प्रस्ताव संख्या 09/2016-17 में संशोधन पर विचार कर अनुमोदन करना और इस संबंध में विशेष प्रस्ताव के रूप में निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और अगर सही माना जाये तो संशोधन सहित अथवा रहित उसे पारित करना।**
- 8.1 श्री रज्जाक (फोलियो संख्या: 91948) ने निम्नलिखित को विशेष प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया:-  
**प्रस्ताव संख्या 8/2024-2025-13वीं वार्षिक आम सभा/23.09.2024**  
“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कम्पनी की 5वीं वार्षिक आम सभा में पारित पूर्व प्रस्ताव संख्या 09/2016-2017 दिनांक 19.09.2016 के आंशिक संशोधन और अनुच्छेद 6.4 तथा कम्पनी के अंतर्नियमों के लागू होने वाले अन्य अनुच्छेदों, कम्पनी अधिनियम 2013 के भाग XXIA (पूर्ववर्ती कम्पनी अधिनियम 1956 के भाग IX-A के अनुरूप) तथा कम्पनी अधिनियम 2013 के लागू होने वाले अन्य प्रावधानों (समय पर किये गये संशोधनों के साथ लागू होने वाले) के अनुसार तथा ऐसे अन्य अनुमोदनों, सहमतियों, अनुमतियों, अनुज्ञाओं के साथ ऐसे ही कम्पनी के सदस्य, निदेशक मंडल को कम्पनी द्वारा सममूल्य पर अंशों को जारी करने के लिए अधिकृत किया जाता है और तदनुसार प्रीमियम मूल्य पर अंशों के निर्गमन को, ऐसे नियमों और शर्तों तथा समय पर समाप्त करने, जैसाकि बोर्ड निर्धारित करता है और कम्पनी द्वारा जारी किये गये अंशों को क्रय और जारी किये गये अंशों का सदस्यों से समर्पण स्वीकार, सममूल्य या बोर्ड द्वारा निर्धारित अन्य मूल्य पर करने के लिये अधिकृत किया जाता है।  
यह भी प्रस्ताव पारित किया जाता है कि उक्त प्रस्ताव अंशधारकों की बैठकों में पूर्व पारित किसी भी प्रस्ताव के संबंध में संशोधित सीमा तक, पूर्व प्रस्तावों पर प्रभावी रहेगा।  
इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए, बोर्ड को प्रीमियम सहित अंशों के निर्गमन तथा आवंटन करने के लिए सभी आवश्यक कार्यवाही, दस्तावेज, मामलों में पूर्ण स्वविवेकानुसार, सही और वांछनीय जो भी प्रस्ताव के लिए आवश्यक हो तथा इस प्रस्ताव के संबंध में प्रश्नों, संदेह व समस्याओं का विवेकानुसार निष्पादन करने तथा अन्य सभी आवश्यक कार्यवाही, डीड, मामलों और वस्तुएं के लिए, ऐसे सभी व्यवहारों दस्तावेजों तथा जो भी आवश्यक, वांछनीय एवं व्यावहारिक जैसा कि बोर्ड उचित समझता है, के लिए अधिकृत करने का प्रस्ताव पारित किया जाता है।

बोर्ड को उपरोक्त प्रस्ताव को लागू करने के लिए प्राप्त सभी अधिकारों या कोई भी अधिकार, किसी भी निदेशक या निदेशकों की समिति या कम्पनी के अधिकारियों को प्रत्यायोजन (Delegate) करने के लिए अधिकृत करने का प्रस्ताव पारित किया जाता है।”

श्री गिराज प्रसाद शर्मा (फोलियो संख्या: 244456) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्षा महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

**9. कम्पनी की दसवीं वार्षिक आम सभा में पारित विशेष प्रस्ताव संख्या 11/2021-22 के संशोधन पर विचार कर अनुमोदन करना और इस संबंध में विशेष प्रस्ताव के रूप में निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और अगर सही माना जाये तो संशोधन सहित अथवा रहित उसे पारित करना।**

9.1 श्रीमती अंजू देवी (फोलियो संख्या: 102320) ने निम्नलिखित को विशेष प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया:—

**प्रस्ताव संख्या 9/2024-2025-13वीं वार्षिक आम सभा/23.09.2024**

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कम्पनी की 10वीं वार्षिक आम सभा में पारित पूर्व प्रस्ताव संख्या 11/2021-2022 दिनांक 27.10.2021 के आंशिक संशोधन और अनुच्छेद 6.8, अनुच्छेद 8 तथा कम्पनी के अंतर्नियमों के लागू होने वाले अन्य अनुच्छेदों, कम्पनी अधिनियम 2013 के भाग XXIA तथा कम्पनी अधिनियम 2013 के लागू होने वाले अन्य प्रावधानों (समय पर किये गये संशोधनों के साथ लागू होने वाले) के अनुसार तथा ऐसे अन्य अनुमोदनों, सहमतियों, अनुमतियों, अनुज्ञाओं और अन्य कार्यों के लिए कम्पनी के सदस्यों का अनुमोदन के लिए आवश्यक होगा और कम्पनी के बोर्ड को एक दिनांक निर्धारित करने के लिए अधिकृत किया जाता है जिसके पश्चात अंशों के क्रय या समर्पण का पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से सममूल्य या अंश प्रीमियम मूल्य के साथ, कम्पनी अधिनियम और आयकर अधिनियम सहित लागू अधिनियमों के अधीन स्वीकार किया जायेगा, जैसाकि नीचे दिया गया है:

1. सदस्य, जिन्होंने सममूल्य पर अंश क्रय किये हैं तथा सदस्यता की तिथि से 5 वित्तीय वर्षों के लिए सदस्यता मापदंडों को पूरा किया है, वह क्रय या समर्पण किये गये अंशों के सममूल्य के साथ, क्रय या समर्पण के समय अंश प्रीमियम मूल्य प्राप्त करने के पात्र होंगे।
2. सदस्य, जिन्होंने सममूल्य पर अंश क्रय किये हैं तथा सदस्यता की तिथि से 5 वित्तीय वर्षों के लिए सदस्यता मापदंडों को पूरा नहीं किया है, वह अंशों के क्रय या समर्पण के समय, क्रय या समर्पण किये गये अंशों के सममूल्य के पात्र होंगे।
3. सदस्य, जिन्होंने आंशिक अंश सममूल्य तथा आंशिक अंश प्रीमियम मूल्य पर प्राप्त किये हैं तथा सदस्यता की तिथि से 5 वित्तीय वर्षों के लिए सदस्यता मापदंडों को पूरा किया है, वह क्रय या समर्पण किये गये अंशों के सममूल्य के साथ, क्रय या समर्पण के समय अंश प्रीमियम मूल्य प्राप्त करने के पात्र होंगे।
4. सदस्य, जिन्होंने आंशिक अंश सममूल्य तथा आंशिक अंश प्रीमियम मूल्य पर प्राप्त किये हैं तथा सदस्यता की तिथि से 5 वित्तीय वर्षों के लिए सदस्यता मापदंडों को पूरा नहीं किया है, वह क्रय या समर्पण के समय सममूल्य वाले अंशों के लिए सममूल्य प्राप्त करने तथा प्रीमियम के साथ लिये गये अंशों के सममूल्य के साथ अंश प्रीमियम मूल्य प्राप्त करने के पात्र होंगे।
5. सदस्य, जिन्होंने अंश प्रीमियम मूल्य के साथ प्राप्त किये हैं उनके द्वारा सदस्यता की तिथि से 5 वित्तीय वर्षों के लिए सदस्यता मापदंडों को ध्यान में न रखते हुये क्रय या समर्पण किये गये अंशों के सममूल्य के साथ क्रय या समर्पण के समय अंश प्रीमियम मूल्य प्राप्त करने के पात्र होंगे।
6. सदस्य जो बोर्ड द्वारा निर्धारित तिथि के पश्चात, सममूल्य पर कम्पनी के अंश क्रय करेंगे वे अंशों के क्रय या समर्पण के समय, क्रय या समर्पण किये गये अंशों के सममूल्य के पात्र होंगे।

बोर्ड को योग्य मामलों में निर्दिष्ट मापदंडों/शर्तों/परिस्थितियों के आधार पर अंश प्रीमियम वापिस करने के लिए उपरोक्त शर्तों को संशोधित/माफ करने के लिए अधिकृत किया जाता है।

सदस्यों को वापिस किये जाने वाले अंश प्रीमियम राशि को मूल्यांकन की उपयुक्त पद्धति के आधार पर तथा बोर्ड द्वारा समय-समय पर तय की गई नियमों व शर्तों पर निर्धारित करने के लिए बोर्ड को अधिकृत करने का प्रस्ताव पारित किया जाता है।

यह भी प्रस्ताव पारित किया जाता है कि उपरोक्त प्रस्ताव, अंशधारकों द्वारा सदस्यों की बैठकों में पारित किसी भी पूर्व प्रस्ताव के संबंध में संशोधित सीमा तक, उक्त पूर्ववर्ती प्रस्तावों पर प्रभावी होगा।

यह भी प्रस्ताव पारित किया जाता है कि इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए, निदेशक मंडल को अंशों का क्रय और अंशों के समर्पण स्वीकार करने के लिए सभी आवश्यक कार्यवाही, दस्तावेज, मामलों में पूर्ण स्वविवेकानुसार, सही और वांछनीय जो भी प्रस्ताव के लिए आवश्यक हो तथा समर्पण/क्रय के संबंध में प्रश्नों, संदेह व समस्याओं का विवेकानुसार निष्पादन करने तथा अन्य सभी आवश्यक कार्यवाही, डीड, मामलों और वस्तुओं के लिए, ऐसे सभी व्यवहारों दस्तावेजों तथा जो भी आवश्यक, वांछनीय एवं व्यावहारिक जैसा कि निदेशक मंडल उचित समझता है, के लिए अधिकृत किया जाता है।

निदेशक मंडल को उपरोक्त प्रस्ताव को लागू करने के लिए प्राप्त सभी अधिकारों या कोई भी अधिकार, किसी भी निदेशक या निदेशकों या अधिकारियों की समिति को प्रत्यायोजन करने के लिए अधिकृत किया जाता है।”

श्रीमती ममता देवी (फोलियो संख्या: 136769) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्षा महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

10. एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज ("NDS") के साथ प्रतिनियुक्ति व्यवस्था (Secondment Arrangement) पर विचार कर अनुमोदन करना और इस संबंध में सामान्य प्रस्ताव के रूप में निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और अगर सही माना जाये तो संशोधन सहित अथवा रहित उसे पारित करना।

10.1 श्री शोभाराम (फोलियो संख्या: 117162) ने निम्नलिखित को सामान्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया:-

**प्रस्ताव संख्या 10/2024-2025-13वीं वार्षिक आम सभा/23.09.2024**

"प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कम्पनी के बहिर्नियमों एवं अंतर्नियमों के अनुच्छेद के प्रावधानों और कम्पनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) के भाग XXIA के लागू होने वाले प्रावधानों, यदि कोई हो, (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय-समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुन-अध्यादेश) और अधिनियम के किसी भी अन्य लागू प्रावधानों के साथ उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों और विनियमों, अन्य लागू कानून/वैधानिक प्रावधानों के अनुसार, कम्पनी, एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज ("NDS") के साथ प्रतिनियुक्ति व्यवस्था (Secondment Arrangement)/अनुबंध करने और प्रतिनियुक्ति व्यवस्था से संबंधित सभी निष्पादित लेनदेन के पुष्टिकरण के लिए सदस्यों का अनुमोदन और प्रतिनियुक्ति व्यवस्था के लिए एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज ("NDS") के साथ लेनदेन/अनुबंध/व्यवस्था/अनुबंध करने और/या जारी रखने के लिए प्रदान किया जाता है

यह भी प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कम्पनी द्वारा इस व्यवस्था/अनुबंध को समाप्त करने के लिए आम सभा में सदस्यों की पूर्व सहमति की आवश्यकता होगी।

बोर्ड को इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए आवश्यक सभी कार्य, डीड के लिए अधिकृत किये जाने का प्रस्ताव पारित किया जाता है। श्री बंशी लाल शर्मा (फोलियो संख्या: 2800) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्षा महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

11. एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज ("NDS") को दूध की आपूर्ति पर विचार कर अनुमोदन करना और इस संबंध में सामान्य प्रस्ताव के रूप में निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और अगर सही माना जाये तो संशोधन सहित अथवा रहित उसे पारित करना।

11.1 श्रीमती आशा शर्मा (फोलियो संख्या: 231739) ने निम्नलिखित को सामान्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया:-

**प्रस्ताव संख्या 11/2024-2025-13वीं वार्षिक आम सभा/23.09.2024**

"प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कम्पनी के बहिर्नियमों एवं अंतर्नियमों के अनुच्छेद के प्रावधानों और कम्पनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) के भाग XXIA के लागू होने वाले प्रावधानों, यदि कोई हो, (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय-समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुन-अध्यादेश) और अधिनियम के किसी भी अन्य लागू प्रावधानों के साथ उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों और विनियमों, अन्य लागू कानून/वैधानिक प्रावधानों के अनुसार, कम्पनी दूध की आपूर्ति के लिए एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज ("NDS") के साथ लेनदेन/अनुबंध/व्यवस्था/अनुबंध के लिए दिनांक 05 अप्रैल 2024 को एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज के साथ किये गये आपूर्ति अनुबंध का अनुमोदन किया था जिसमें किसी भी संशोधन, परिवर्तन और विस्तार सम्मिलित है।

बोर्ड को इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए आवश्यक सभी कार्य, डीड के लिए अधिकृत किये जाने का प्रस्ताव पारित किया जाता है। श्री रितेश कुमार (फोलियो संख्या: 194982) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्षा महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

12. अन्य कोई बिन्दु नहीं है, अध्यक्षा ने आम सभा का समापन किया और उपस्थित सभी अंशधारकों को ध्यानपूर्वक सुनने, सहयोग, बहुमूल्य समर्थन और समय देने के लिए धन्यवाद ज्ञापित दिया। आम सभा दोपहर: 01.00 बजे सम्पन्न हुई।

दिनांक : 25 सितम्बर, 2024

अध्यक्षा

स्थान: जयपुर

दिनांक 25 सितम्बर, 2024 को कार्यवाही पुस्तिका में प्रविष्टि की गई।

ह./-

कम्पनी सचिव द्वारा आद्याक्षर



**पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड**  
**वित्तीय वर्ष 2025-2026 का बजट**

**(अ) आयगत बजट**

| विवरण                           |                      |                |
|---------------------------------|----------------------|----------------|
| <b>(अ) आय</b>                   |                      |                |
| दुध की मात्रा                   | किलोग्राम प्रतिदिन   | <b>631,499</b> |
| व्यापार (दुध एवं दुध उत्पाद)    | रूपये लाखों में      | <b>128,530</b> |
| पशु आहार एवं एआई से योगदान      | रूपये लाखों में      | <b>408</b>     |
| अन्य आय                         | रूपये लाखों में      | <b>787</b>     |
| <b>(ब) व्यय</b>                 |                      |                |
| माल की लागत (परिवर्तन सहित)     | रूपये लाखों में      | <b>114,079</b> |
| स्थिर एवं अन्य परिवर्तनशील लागत | रूपये लाखों में      | <b>15,527</b>  |
| कुल व्यय                        | रूपये लाखों में      | <b>129,606</b> |
| कर से पूर्व लाभ (अ-ब)           | रूपये लाखों में      | <b>119</b>     |
|                                 | <b>% विक्रय पर :</b> | <b>0.09%</b>   |

**पूँजीगत बजट 2025-2026**

| विवरण                |                        | राशि         |
|----------------------|------------------------|--------------|
| प्लांट एवं मशीनरी    | रूपये लाखों में        | 1441         |
| ऑफिस उपकरण           | रूपये लाखों में        | 25           |
| आई.टी. उपकरण         | रूपये लाखों में        | 269          |
| लैब उपकरण            | रूपये लाखों में        | 164          |
| फर्नीचर एवं फिक्चर्स | रूपये लाखों में        | 11           |
| <b>कुल</b>           | <b>रूपये लाखों में</b> | <b>1,911</b> |



## पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

(CIN : U01211RJ2012PTC038955)

रजिस्टर्ड कार्यालय: डी-232-233, चौथी मंजिल, अटलान्टिस टॉवर, वैशाली नगर, जयपुर-302 021, राजस्थान  
दूरभाष नं. +91-141-2352736, Email : info@paayasmilk.com, www.paayasmilk.com

### उपस्थिति पर्ची (Attendance Slip)

फोलियो संख्या : 

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

सदस्य  
कोड 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड की शनिवार, 30 अगस्त 2025 को दोपहर 12:15 बजे एआईसीटीई इंडोवेशन सेंटर, अरण्य भवन के पास, झालाना डूंगरी, इंस्ट्रीटयूशनल एरिया, महात्मा गांधी रोड़, जयपुर-302004 पर होने वाली 14वीं वार्षिक आम सभा में, मैं अपनी उपस्थिति दर्ज करता / करती हूँ।

|                                                                       |  |
|-----------------------------------------------------------------------|--|
| अंश धारक का नाम :-                                                    |  |
| प्रॉक्सी (Proxy) का नाम:-<br>(अगर प्रॉक्सी बैठक में भाग ले रहा है तो) |  |

अंशधारक/ प्रॉक्सी के हस्ताक्षर\*  
\*जो लागू नहीं होता है, उसे काट दें।

## पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

(CIN : U01211RJ2012PTC038955)

रजिस्टर्ड कार्यालय: डी-232-233, चौथी मंजिल, अटलान्टिस टॉवर, वैशाली नगर, जयपुर-302 021, राजस्थान  
दूरभाष नं. +91-141-2352736, Email : info@paayasmilk.com, www.paayasmilk.com

### फार्म संख्या एम.जी.टी.-11

### प्रतिनिधि प्रारूप (Proxy Form)

[कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 105(6) और कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 19(3) के अनुसार]

सदस्य (यों) का नाम : .....

पंजीकृत पता : .....

ईमेल आईडी : .....

फोलियो संख्या : 

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

मैं/हम ..... पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड के  
अंशों का सदस्य होते हुये एतद्वारा

(1) श्री/श्रीमती ..... फोलियो संख्या : 

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

पता .....

ईमेल आईडी : .....

हस्ताक्षर: ..... या उनकी अनुपस्थिति में

(2) श्री/श्रीमती ..... फोलियो संख्या : 

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

पता .....

ईमेल आईडी : .....

हस्ताक्षर: ..... या उनकी अनुपस्थिति में

(3) श्री/श्रीमती ..... फोलियो संख्या : 

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

पता .....

ईमेल आईडी : .....

हस्ताक्षर: .....

को कम्पनी की शनिवार, 30 अगस्त 2025 को दोपहर 12:15 बजे एआईसीटीई इंडोवेशन सेंटर, अरण्य भवन के पास, झालाना डूंगरी, इंस्टीट्यूशनल एरिया, महात्मा गांधी रोड़, जयपुर- 302004 अथवा किसी भी अन्य स्थान/समय पर होने वाली 14वीं वार्षिक आम सभा में मेरी तरफ से प्रॉक्सी के रूप में भाग लेने और आगे वर्णित प्रस्तावों के संबंध में वोट डालने (मतदान) के लिये प्रतिनिधि नियुक्त करता/करती हूँ:

| क्र.सं. | प्रस्ताव                                                                                                                                                                                                                                                                         | मतदान    |            |       |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | पक्ष में | विपक्ष में | तटस्थ |
| 1       | 31 मार्च, 2025 का अंकेक्षित आर्थिक चिट्ठा तथा उस तारीख को समाप्त अवधि के लिए लाभ हानि खाता और रोकड़ प्रवाह विवरण तथा उस पर निदेशकों एवं अंकेक्षकों की रिपोर्ट पर विचार एवं अनुमोदन करना।                                                                                         |          |            |       |
| 2.      | कम्पनी की समता अंश पूंजी पर सीमित लाभांश (डिविडेंड) रुपये 8 प्रति अंश पर विचार एवं घोषणा करना।                                                                                                                                                                                   |          |            |       |
| 3.      | श्री नारायण लाल गुर्जर (डी.आई.एन. – 08075740), जो बोर्ड में “श्रेणी ए” के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, के स्थान पर श्रीमती सुनिता कुमावत (डी.आई.एन.: 11193880), निदेशक की नियुक्ति पर विचार कर नियुक्ति के लिए प्रस्तावित करती है।                                          |          |            |       |
| 4.      | श्री विजय सिंह मीणा (डी.आई.एन. – 09286327), जो बोर्ड में “श्रेणी बी” के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, के स्थान पर श्रीमती रिकू शर्मा (डी.आई.एन.: 11194044), निदेशक की नियुक्ति पर विचार कर नियुक्ति के लिए प्रस्तावित करती है।                                               |          |            |       |
| 5.      | श्री हनुमान चौधरी (डी.आई.एन.– 09684895), जो बोर्ड में “श्रेणी सी” के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति पर विचार कर नियुक्त करना जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्त होकर, योग्यताएँ पूरी करते हुये स्वयं को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तावित करते हैं। |          |            |       |
| 6.      | कम्पनी के वैधानिक अंकेक्षकों मैसर्स प्राइस वॉटरहाऊस चार्टर्ड एकाउंटेंट्स एल.एल.पी., की पुनः नियुक्ति पर विचार कर अनुमोदन करना एवं उनका पारिश्रमिक निर्धारित करना।                                                                                                                |          |            |       |
| 7.      | 1 अप्रैल, 2025 से 31 मार्च, 2026 तक की अवधि के लिए कम्पनी के बजट पर विचार कर अनुमोदन करना और इस संबंध में सामान्य प्रस्ताव पारित करना।                                                                                                                                           |          |            |       |
| 8.      | एनडीडीबी द्वारा प्रमोटेड एपेक्स मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी (Apex Multi State Cooperative Society) की शेयर पूंजी लेने (Subscription) पर विचार कर विशेष प्रस्ताव पारित करना।                                                                                                    |          |            |       |
| 9.      | बोर्ड में रिक्त पदों के लिए योग्य सदस्यों से प्राप्त आवेदनों की निर्धारित मापदंडों के आधार पर जांच करने के लिए नामांकन समिति के गठन हेतु संशोधित दिशा-निर्देशों पर विचार कर सामान्य प्रस्ताव पारित करना।                                                                         |          |            |       |

दिनांक .....2025 को हस्ताक्षरित किये गये।

₹ 1/-  
रेवेन्यू टिकिट

(अंशधारक (कों) के हस्ताक्षर)

(प्रॉक्सीधारक (कों) के हस्ताक्षर)

**नोट:** यह प्रॉक्सी फॉर्म प्रभावी होने के लिए वर्णित बैठक के प्रारम्भ होने से कम से कम 48 घंटे पूर्व कम्पनी के रजिस्टर्ड कार्यालय में विधिवत रूप से भरकर जमा किया जाना चाहिए।

## 14 वीं वार्षिक आमसभा स्थल के मार्ग का नक्शा

